भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

कु0सुनीता अग्रवाल शपथ आयुक्त श्योपुर (म0प्र0)

समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क्र. रेस्टोरेशन /2015 रेस्टो / 3901 – I-15

मोहम्मद रमजान पुत्र तुफैल मोहम्मद
नि: छारबाग श्योपुर ....प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

मु. जमीला तलाकशुदा बेवा तुफैल मोहम्मद नि: ... सवाई माधोपुर
..........प्रतिप्रार्थी / गैरनिगरानीकर्ता

कार्यालय कु0सुनीता अग्रवाल शपथ आयुक्त न्यायालय श्योपुर (म0प्र0) पंजी क्र. 4512 दिनांक 01-12-15

आवेदन पत्र अंतर्गत म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (3)

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत है:–

1. यह कि माननीय न्यायालय ने विचारणीय प्रकरण दिनांक 18.11.15 को आवेदक व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज कर दिया है।
2. यह कि आवेदक माननीय न्यायालय ग्वालियर से 250 कि.मी. दूर श्योपुर का निवासी है जिसे श्योपुर से माननीय न्यायालय में पहुंचने में कम से कम 06 घंटे से अधिक समय लगता है। इसकारण प्रार्थी प्रकरण की नियत दिनांक को समय पर प्रकरण की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो सका है।
3. यह कि प्रार्थी के अभिभाषक श्री खेडकर साहब उक्त नियम दिनांक को अन्य प्रकरण में अन्य न्यायालय में व्यस्त थे इसकारण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो सके है।
4. यह कि विधि का यह सिद्वांत है और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत में भी यह माना है कि अभिभाषक की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है, इसलिये अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त हुए प्रकरण को न्यायहित में पक्षकार की कोई गलती न होने से पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह आवेदन पत्र दिया जा रहा है।

दिनांक 2-12-15 को श्री पवन शर्मा अभि. द्वारा प्रस्तुत। 2-12-15 SO

श्रीमान न्यायालय के समक्ष उपरोक्तानुसार आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रकरण में नियत दिनांक 18.11.2015 को प्रार्थी तथा उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति परिस्थितिजन्य थी जिसे क्षमा किया जाकर प्रकरण क्रं. 1294 / प्रथम / 12 को पुनः नम्बर पर लेते हुए सुनवाई पर लेने की कृपा करें।

दिनांक :–

प्रार्थी
मोहम्मद रमजान पुत्र तुफैल मोहम्मद
निवासी छारबाग, श्योपुर जिला श्योपुर
मध्यप्रदेश

R.S.No. 390-ए/15 रिस्टोर (21)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
02-12-15	आवेदक अधि. श्री पवन शर्मा उपस्थित। उन्हे रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्र. सिवि. 1254-ए/12 पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाता है। सदस्य	